

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मुनातू। 23/10/22 अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अंचल अधिकारी, मुनातू। 02/11/22 अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अंचल अधिकारी, मुनातू।	

12.01.2023

अभिलेख अपस्थापित/समय पर निरीक्षण कराया
हुआ समय पर निरीक्षण के मांग को
अभिलेख दिनांक 20.1.23 के लिए

20.1.23
10.2.23

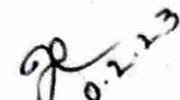
अभिलेख अपस्थापित।

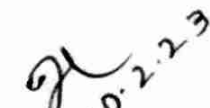


राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल
अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक
एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा नौडीया
....., थाना सं० 346 खाता सं० 02
.. प्लॉट सं० 553/A, 553/B रकबा 2.18.20 है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी
II के पृष्ठ सं० 30/10 पर श्री टी वी वी डे राय
से मांग कायम है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल
अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंधान के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद
नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

अध्यक्ष अधिकारी
मनात, पलाश्र ।

विषय :- सैद्धिच / सैदीहासुद जमाबंदी केश नं० 76/2016-17
का ऑन्य प्रतिवेदन के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदित करना है कि
अवैध जमाबंदी केश नं० 76/2016-17 के संबंध में
ऑन्योपरान्त पाया कि मौजा - मौडिहा के पुराना मॉग पंजी
II के पेज नं० 30/10 पर शान्ती बीबी w/o स० नैजाम
मिश्रा के नाम से मॉग दाखल है। मॉग पंजी-II के अनुसार
भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

मौजा	खसरा	लकीर	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
मौडिहा	2	553/A	1.30	Settlement case-HO-285/ 2002-03 by order S.O. 6 Medemnagar.
	2	553/B	0.74	
	2	553/C	0.14	
			2.18 रु	

उपर्युक्त वर्णित भूमि के संबंध में मॉगधारी से भूमि संबंधी
दस्तावेज की मॉग की गई, जो कि अभी तक उनके द्वारा
उपलब्ध नहीं कराया गया है। पंजी-II के प्राधिकार कोलम
में अध्यक्ष पदाधिकारी मनात के द्वारा दिनांक -
01/03/13 के द्वारा तत्काल प्रभाव से इस मॉग को
स्थगित किया जाता है, दर्ज है। मॉगधारी के नाम से
एक मात्र रसीद दिनांक - 22-1-12, रसीद संख्या - 4968201
पावे। 2003-12 निर्गत है जो पंजी-II पर दर्ज है।

अतः अवैध जमाबंदी केश नं० 76/2016-17 को निष्पादित
किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कुमार
राठ 30 दि०
हस्ताक्षर - III

28/01/23
RSE+CD